

नगर वाड वारी डिप्टी सिविल जज
 वापस सिविल ह/ अल वाड वदन वारी
 निरुद्ध प्रविवाही गण डिप्टी सिविल जज गै
 प्रविवाही गण के एम्बर 11-2 के सिप्रे फरमा
 सिप्रे फरमा के वाकड सिविल जज के के
 के वारी के ज्वातेदारी के अकसे करिय
 की अशली गणक 108, 115, 123, 455, 457,
 459, 462, 464, 466, 475, 537, 538,
 543, 544 कुल सिविल 14 कुल अकवा
 9.70 के वलके गान पापुप तदालन उनिपस
 के सिविल गै तरह के दरखतदारी नदी अकसे
 पना डिप्टी जजरी ह/ पारिकेन अकसे अकवा 2
 वदन अकसे

(6)

(डिक्री)

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्रा0प0 पायगा
उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादी

बनाम

1. किशना पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. सीताराम पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. धन्ना पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. कन्हैयालाल पुत्र बंदी जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. काली पत्नी बंदी जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. प्रकाश पुत्र किशना जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. बसन्ती पत्नी प्रकाश जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
8. सुनीता पुत्री प्रकाश जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
9. मीरादेवी पत्नी गीताराम जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
10. मनराज पुत्र गीताराम जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
11. कालू पुत्र गीताराम जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
12. प्रधान पुत्र गीताराम जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
13. भूरी पत्नी धन्ना जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
14. बलराम पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
15. रामसागर पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
16. मुकेश पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 184 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण वादी प्रतिवादीगण की ओर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 3.6.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को हमेशा-2 के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी ख0न0 108, 115, 123, 455, 457, 459, 462, 464, 466, 475, 537, 538, 543, 544 कुल किता 14 कुल रकबा 9.70 है0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा में किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं करें। फरिकेन खर्च अपना-अपना वहन करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 06 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक